भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 203

21 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न की खरीद, भंडारण एवं वितरण की वर्तमान स्थिति

203. श्री एस. सेल्वागनबेथी:
श्री राजीब भट्टाचार्जी:
डा. कल्पना सैनी:
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:
श्री बाबू राम निषाद:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
श्री घनश्याम तिवाड़ी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण एवं वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के डिजिटलीकरण के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;
(ग) खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने तथा बफर स्टॉक का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय लागू किए गए हैं; और
(घ) इन पहलों का समग्र खाद्य सुरक्षा, पोषण संबंधी परिणामों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): दिनांक 12.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, केएमएस 2025-26 के दौरान कुल 834.47 लाख टन धान की खरीद की गई है। इसके अलावा, आरएमएस 2026-27 के दौरान कुल 357.57 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है।

मोटे अनाजों की खरीद, राज्यों द्वारा खरीदे गए मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा, मक्का एवं रागी आदि) तथा 6 लघु मिलेट्स (श्री अन्न) के आवंटन, वितरण एवं निपटान संबंधी दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित की जाती है। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति के माध्यम से इन जिंसों की खरीद करने की अनुमति है।

...2/-

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से भंडारण क्षमताओं का सृजन कर अपनी भंडारण क्षमता में वृद्धि कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन एवं निगरानी की जाती है तथा भंडारण अंतर आकलन के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराये पर ली जाती है:

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना।
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) "भंडारण एवं गोदाम" (पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष केंद्रित)।
3. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराये पर लेना।
4. निजी भांडागारण योजना (पीडब्ल्यूएस)।
5. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अंतर्गत गोदामों का सृजन।
6. लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज का निर्माण।
7. पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए 15 वर्ष की विस्तारित गारंटी अवधि सहित संशोधित पीईजी योजना।
8. सीएपी किराया योजना–2025

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 79.09 करोड़ लाभार्थियों को चावल, गेहूँ तथा मोटे अनाज सहित निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के लाभार्थी को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह, जबकि प्रत्येक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जिसकी संपूर्ण खाद्य सब्सिडी का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आधार-प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों का उपयोग करते हुए 5.51 लाख से अधिक उचित दर दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से वितरण किया जाता है, जिससे पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का पारदर्शी, दक्ष एवं लीकेज-रहित वितरण सुनिश्चित होता है।

(ख): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा चुकी है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थी आधार-आधारित बायोमीट्रिक अथवा ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से देश में किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके शुभारंभ से अब तक 221 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए जा चुके हैं, जिससे प्रवासी लाभार्थियों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता एवं वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कुल 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से 5.50 लाख से अधिक उचित दर दुकानों को ई-पीओएस उपकरणों से डिजिटीकृत किया जा चुका है तथा 98.5% आधार-प्रमाणित वितरण किया जा रहा है। 99.7% राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है तथा डुप्लीकेट, निष्क्रिय एवं अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। लाभार्थियों के प्रमाणीकरण को सुदृढ़ करने तथा सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए ओटीपी-आधारित सत्यापन सहित मोबाइल नंबर सीडिंग भी प्रारंभ की गई है।

...3/-

(ग) आपातकालीन परिस्थितियों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार, निर्धारित बफर स्टॉक मानकों के अनुसार गेहूँ एवं चावल जैसी प्रमुख जिंसों का बफर स्टॉक बनाए रखती है। फसल कटाई के मौसम के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की खरीद केंद्रीय तथा विकेंद्रीकृत खरीद तंत्रों के माध्यम से की जाती है। बफर स्टॉक का प्रबंधन वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों, स्टॉक की स्थिति की आवधिक समीक्षा तथा खाद्यान्न के नियमित आवर्तन के माध्यम से किया जाता है, ताकि उसकी गुणवत्ता में ह्रास न हो।

केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न के बफर मानक निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख टन में)

दिनांक तक	चावल	गेहूँ	कुल
1 अप्रैल	135.8	74.6	210.4
1 जुलाई	135.4	275.8	411.2
1 अक्तूबर	102.5	205.2	307.7
1 जनवरी	76.1	138.0	214.1

भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत निर्धारित बफर मानदंडों और आवश्यकता से अधिक अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस(डी)) के माध्यम से बेचती है। इससे बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आम जनता के लिए खाद्यान्न को अधिक किफायती बनाने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस(डी)] नीति के अंतर्गत आम उपभोक्ताओं को सब्सिडीयुक्त दरों पर आटा (गेहूँ का आटा) एवं चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रमशः वर्ष 2023 और 2024 में 'भारत आटा' तथा 'भारत चावल' प्रारंभ किए गए।

(घ): उपर्युक्त पहलों ने पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा और कल्याण को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है। पीएमजीकेएवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्न ने लगभग 79.09 करोड़ लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। ओएनओआरसी ने 221 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश में कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जिससे खाद्य सुरक्षा की निरंतरता में सुधार हुआ है। आधार-प्रमाणित ई-पीओएस वितरण और ईकेवाईसी आधारित लाभार्थी सत्यापन से लीकेज में कमी आई है। इसके अलावा, यथोचित लक्ष्यीकरण कवायद से फील्ड सत्यापन के बाद सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित शिकायत निवारण प्लेटफोर्म, टोल-फ्री हेल्पलाइन तथा बहुभाषी सहायता व्यवस्था ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभार्थियों के सशक्तीकरण और जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया है। समग्र रूप से, इन पहलों ने पारदर्शिता में वृद्धि की है, पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध रूप से खाद्यान्न पहुँचाना सुनिश्चित किया है, लक्ष्यीकरण में सुधार किया है, बहिष्करण को कम किया है तथा देशभर के कमजोर परिवारों की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
